श्री ओम प्रकाश, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 05.04.2021 को मुख्य सचिव सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की पंचम बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री जी0पी0 पंत, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री उदय राज सिंह, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री मनोज कुमार तिवारी, डी0पी0आर0ओ0, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री कवीन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. श्री राजीव भरतरी, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. श्री जे0एस0 सुहाग, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. श्री जे0एस0 सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संचालन समिति की पंचम बैठक की एजेण्डावार कार्यवाही निम्नप्रकार प्रारम्भ की गई :–

कार्यसूची संचालन समिति 5.1:

दिनांक 12.10.2020 को सम्पन्न हुई चतुर्थ संचालन समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 12.10.2020 को आयोजित संचालन समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति 5.2: वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष उपलब्धि :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार को संचालन समिति द्वारा कुल अनुमोदित ₹22856.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को अन्तिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसके सापेक्ष वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना कुल ₹22509.00 लाख हेतु स्वीकृत की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार गतिविधियों को अनुमन्य नहीं किया गया है :–

- वन्यजीव पशु चिकित्सा एवं चिकित्सालय का निर्माण (देहरादून)
- कुम्भ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु वाहन किराये पर लेना
- ट्रेनिंग सेंटर का सुदृढ़ीकरण
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (आतंरिक)
- लम्बी दूरी की गश्त

5.2.1 **वर्ष 2020–21 के अंतर्गत सम्पादित कार्य/भौतिक उपलब्धि** –मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2020–21 की वित्तीय प्रगति से पूर्व वर्ष 2020–21 में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत कैम्पा में सम्पादित अभिनव कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें मुख्यतः निम्न कार्यों पर समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्देश/अभिमत दिए गये :–

- **प्रदेश के अंतर्गत विलुप्त हो रही गौरेया का संरक्षण** – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 की अनुपूरक कार्ययोजना के अंतर्गत मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के निर्देशानुसार प्रदेश में गौरेया के संरक्षण हेतु गौरेया आश्रय स्थल की स्थापना हेतु कैम्पा में रु0 5.00 करोड़ की धनराशि के प्राविधान हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा इसे वृहद/प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन से पूर्व इसकी बी0एन0एच0एस0, मुम्बई के सहयोग से अध्ययन कराए जाने हेतु रु0 42.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। उक्त के क्रम में गौरेया संरक्षण हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के माध्यम से बी0एन0एच0एस0, मुम्बई व वन विभाग, उत्तराखण्ड के संहित कॉलेबोरिटिव प्रोजेक्ट के सापेक्ष भारतीय वन्य जीव संस्थान को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में अधिकांशतः गौरेया विलुप्त उन स्थानों पर हुई है, जहां पर सम्भवतः इलेक्ट्रोमैगनेटिक किरणें/मोबाईल टावर्स प्रचुर मात्रा में स्थापित किए गये हैं। दूरस्थ क्षेत्रों, जहां पर मोबाईल टावर्स कम हैं, वहां पर गौरेया के सुरक्षित रहने की सम्भावना अधिक है। मुख्य सचिव द्वारा गौरेया संरक्षण हेतु प्रदेश में ऐसे स्थानों के चयन किए जाने के निर्देश दिए गये जहां प्रवासी/खण्डहर ग्रामों एवं होम स्टे ज्यादा हों। मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त कोलेबोरिटिव प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के सम्बन्ध में निर्देश दिए गये कि 3 माह में इसकी अन्तरित रिपोर्ट एवं 6 माह के अंतर्गत पूर्ण/विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

- **ग्रासलैण्ड/लैन्टाना उन्मूलन** – मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने/कम किए जाने के उद्देश्य से लैन्टाना उन्मूलन उपरान्त कैम्पा निधि से तैयार किए गये विभिन्न ग्रासलैण्ड/चौड़ों का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें कॉर्बेट टाईगर रिजर्व द्वारा घनी झाड़ियों की सफाई से लेकर ग्रासलैण्ड तैयार किए जाने तक की समस्त प्रक्रियाओं जैसे–Removal of Lantana, Preparing seed ball, broadcasting of seed balls in grass land, plantation of grass tufts, dried grass cutting strategy के प्रस्तुतीकरण के साथ अन्त में इन क्षेत्रों में प्राप्त परिणाम जैसे–ढिकाला ग्रासलैण्ड, लालढांग ग्रासलैण्ड व कोठीरॉ ग्रासलैण्ड को फोटोग्राफी के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा इस सम्बन्ध में सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि लैन्टाना उन्मूलन के

उपरान्त इन क्षेत्रों में वास्तविक रूप से मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी देखी गई है। प्रमुख वन संरक्षक एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इन क्षेत्रों में हुए कार्यों की तैयार वीडियोग्राफी को यू–ट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित किया जा रहा है, जिसे सराहा गया है।

- **रेडियो कॉलरिंग एवं कैमरा ट्रैपिंग** – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा मानव वन्यजीव घटनाओं को न्यून करने व वन्यजीवों की ट्रैकिंग किए जाने के दृष्टिगत वर्तमान में कैम्पा निधि के अंतर्गत 4 हाथियों को सुरक्षित रूप से किए गये रेडियो कॉलरिंग की फोटोग्राफी भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त राजाजी टाईगर रिजर्व में वन्य जीवों हेतु बनाए गये वाटर हॉल्स के आसपास आने वाले विभिन्न गुलदारों को विभिन्न कैमरा ट्रैपों के माध्यम से प्राप्त उनके निरन्तर मूवमेन्ट की स्थिति को सेटेलाईट ग्राफिक्स के माध्यम से समिति के समक्ष रखा गया।

- **रेस्क्यू सेण्टर एवं चौकी/वॉच टावर निर्माण** – प्रदेश में कैम्पा निधि से कॉर्बेट टाईगर रिजर्व के अंतर्गत बनाए जा रहे रेस्क्यू सैण्टर, बाघ/गुलदार बाड़ा के फोटोग्राफ्स को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा इन कार्यों को सराहा गया एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदेश में अन्य चिन्हित स्थानों पर भी रेस्क्यू सैण्टर्स इसी आधार पर उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- **मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम – बंदर बंध्याकरण** – राज्य में बन्दर जनित समस्या के निवारण के दृष्टिगत मानव वन्यजीव संघर्श की रोकथाम हेतु उत्पाती बन्दरों को पकड़ने, उनका बन्ध्याकरण करने, बन्दरबाड़ा निर्माण आदि कार्यों हेतु वार्शिक कार्ययोजना 2020–21 के अंतर्गत रु0 205.00 लाख की धनराशि एवं अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत रु0 800 लाख (रु0 600 लाख वानर रेस्क्यू सेण्टर हेतु एवं रु0 200 लाख पिंजरे क्रय, बन्दर पकड़ने छोड़ने इत्यादि) की धनराशि से बन्दर बन्ध्याकरण एवं रेस्क्यू सेण्टरों की स्थापना (हरिद्वार वन प्रभाग, तराई पूर्वी वन प्रभाग, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग एवं सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अंतर्गत) एवं स्थापित रेस्क्यू सेंन्टरों के रखरखाव के कार्य सम्पादित किए गये/जा रहे हैं।

समिति को विगत वर्षों में विभिन्न प्रभागों में स्थापित रेस्क्यू सेंटर/बन्दर बन्ध्याकरण केन्द्रों में बन्ध्याकृत बन्दरों की स्थिति से निम्नानुसार अवगत कराया गया :-

प्रभाग का नाम	वर्ष 2015-16 से वर्तमान तक बन्ध्याकृत किये गये एवं तत्पश्चात दूरस्थ स्थानों में छोड़े गये बन्दरों की संख्या			कुल
	वर्ष 2018-19 तक	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	
हरिद्वार वन प्रभाग	4035	8801	11280	24116
नैनीताल वन प्रभाग (रानीबाग)	2174	3657	2459	8290
सि0सो0 अल्मोड़ा	31	239	57	327
कुल योग	**6240**	**12696**	**13796**	**32733**

वर्ष 2020-21 में कैम्पा निधि से विभिन्न रेस्क्यू सेंटरों में वर्तमान तक कुल **13796** बन्दरों का बन्ध्याकरण किया गया। वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक विभिन्न रेस्क्यू सेंटरों में कुल **32733** बन्दरों का सफलता पूर्वक बन्ध्याकरण कार्य सम्पादित किया गया। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

- **मृदा एवं जल संग्रहण:** मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत नदियों के पुनर्जीवन मद के अन्तर्गत कोसी नदी, क्षिप्रा नदी, खोह नदी, नयार नदी व गरूड़ गंगा के पुनर्जीवन का कार्य गतिमान है। इनमें निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गयें:-

  - अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत **कोसी नदी के पुनर्जीवन में 190 है0 क्षेत्र में 227000 पौधों का रोपण, 1180 चैक डैम,चाल-खालों का निर्माण एवं धारा-नौला** का जीर्णोधार, **70457 कंटूर ट्रेंच** का निर्माण एवं पूर्व में 190 है0 क्षेत्र में हुए वृक्षारोपण का अनुरक्षण कार्य **सम्पादित** किया गया।

  - नैनीताल वन प्रभाग के अंतर्गत **क्षिप्रा नदी के पुनर्जीवन में 66 है0 क्षेत्र में वनीकरण कार्य, 450 चैक डेम/वानस्पतिक चैक डेम व चाल-खालों का निर्माण, 44400 कंटूर ट्रेंच** का निर्माण एवं 67 जलकुण्डों, 326 परकुलेषन टेंकों का निर्माण कार्य सम्पादित किया गया।

- लैंसडॉन वन प्रभाग के अंतर्गत खोह नदी के पुनर्जीवन में 20 हे० क्षेत्र में ए0एन0आर0 कार्य, 402 चैकडैम/वानस्पतिक चैकडैम व चाल खालों का निर्माण एवं 167 है0 क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच का निर्माण कार्य सम्पादित किया गया।
- बागेश्वर वन प्रभाग में गरूड़ गंगा नदी के पुनर्जीवन के अंतर्गत 53 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य एवं अन्य मृदा एवं जल संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियां सम्पादित की गई हैं।
- इसी प्रकार अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के सापेक्ष मृदा जल संरक्षण में वृद्धि व वनाग्नि रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश स्तर पर विभिन्न क्षमताओं के जलकुण्ड व कन्टूर ट्रेन्चों के निर्माण के साथ–साथ प्रदेश के विभिन्न प्रभागों के अंतर्गत खोह, मालन, यक्षावती, रायगाड़, गण्डक, गरूड़गंगा, हेवल नदी एवं गहड़ तथा समखाल नाले के पुनर्जीवन/उपचार कार्य (वानिकी कार्यों सहित) सम्पादित कराए गये/जा रहे हैं।

उपरोक्त मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों से लगभग 7 करोड़ लीटर से अधिक जल संग्रहण क्षमता विकसित होनी सम्भावित है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

5.2.2 वर्ष 2020–21 के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि –

वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि व उसके विरूद्ध व्यय की प्रगति भी समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गई, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है:–

धनराशि लाख ₹	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	अर्जित ब्याज	कुल योग
स्वीकृत कार्ययोजना	**5575.00**	**3000.00**	**11616.00**	**1443.00**	**875.00**	**22509.00**
अवमुक्त धनराशि *	5017.50	2978.00	10164.88	1211.78	250.38	19622.54
व्यय (MIS अनुसार)	3452.35	2289.62	7115.50	717.91	53.00	13628.38
अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना (रू0 128.55 लाख) 2020–21 के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि						
*स्वीकृत कार्ययोजना	**480.00**	**752.00**	**11073.00**	**550.00**		***12855.00**
अवमुक्त धनराशि	479.97	752.00	5835.65	550.00		*7617.62
कुल स्वीकृत कार्ययोजना	**6055.00**	**3752.00**	**22689.00**	**1993.00**	**875.00**	**35364.00**
कुल अवमुक्त धनराशि	**5497.47**	**3730.00**	**16000.53**	**1761.78**	**250.38**	**27240.16**
*स्वीकृत कार्ययोजना	**480.00**	**752.00**	**11073.00**	**550.00**		***12855.00**

** अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत रू0 4000.00 लाख की धनराशि* Regeneration of degraded forest by seeding, fire protection, maintenance of young plantation and other forest protection activities *हेतु प्राविधानित है जिन्हें वन पंचायतों, ईडीसी, स्वयं सहायता समूह /महिला मंगल दल के माध्यम से उपयोग किया जाना है तथा रू0 1250 लाख की धनराशि मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार 06 नदियों के उपचार हेतु प्राविधानित है। उक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण / वचनबद्ध गतिविधियों हेतु धनराशि की अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के अंतर्गत मुख्यतः आवश्यकता है। चूंकि वर्तमान में 15 जून की अवधि तक फायर सीजन गतिमान है एवं यंग प्लांटेशन मेंटेनेंस व रीजनरेशन ऑफ डीग्रेडेड फॉरेस्ट बाइ सीडींग संबंधी गतिविधियां माह जून से प्रारम्भ होनी हैं। इसी प्रकार नदियों के उपचार हेतु इस माह के अंतर्गत संबंधित कियान्वयन इकाईयों से डीपीआर प्राप्त होनी अपेक्षित है, डीपीआर प्राप्त होते ही मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार इन चिन्हित 06 नदियों के उपचार का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है । माह जून तक वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति भी संभवतः भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त अवशेष धनराशि को वर्ष 2020–21 की स्वीकृत अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना की उक्त धनराशि को वर्ष 2021–22 के अंतर्गत व्यय किये जाने हेतु समिति द्वारा सहमति दी गई।*

सदस्यगणों को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में स्वीकृत रू0 22509.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना में नमामि गंगे परियोजना हेतु ₹ 2000 लाख की धनराशि प्राविधानित है, उनके स्तर से मांग प्राप्त न होने के कारण यह धनराशि उन्हें अवमुक्त नहीं की जा सकी है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत अवमुक्त के सापेक्ष वर्तमान तक व्यय की प्रगति न्यून प्रदर्शित हो रही है क्योंकि वर्ष 2020–21 की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति माह मार्च 2021 के प्रारंभ में प्राप्त हुई है एवं इसके अंतर्गत हुए व्यय की कियान्वयन इकाईयों के स्तर से पूर्ण रूप से MIS प्रविष्टि नहीं की गई है। कियान्वयन इकाईयों द्वारा कुल अवमुक्त रू0 27240.16 लाख के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2021 की स्थिति अनुसार बैंकों से लगभग 26100.00 लाख की धनराशि आहरित की गई है। इस आधार पर कियान्वयन इकाईयों द्वारा वास्तविक व्यय की पूर्ण प्रविष्टि किये जाने के उपरांत व्यय की प्रगति लगभग 90% से अधिक परिलक्षित होगी। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची संचालन समिति 5.3: वित्तीय वर्ष 2021–22 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 23 फरवरी, 2021 को संपन्न उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक में कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु कुल रू0 95080.90 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को संचालन समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

कार्यकारी समिति द्वारा उक्त बैठक में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2021–22 का घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

वचनबद्ध गतिविधियां			एन0पी0वी0	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख ₹ में)
क्षतिपूरक वनीकरण	अन्य विशिष्ट कार्य	कैट प्लान			
8346.53	2515.44	10959.85	70309.08	2950.00	95080.90

प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों से समिति को अवगत कराया गया, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

स्थल विशिष्ट कार्यों हेतु प्राविधान

- ❑ **क्षतिपूरक वनी0** बैकलॉग को पूर्ण करने के उद्देश्य से 3000 है0 वृक्षारोपण तथा लगभग 6000 है0 अग्रिम मृदा कार्य तथा सम्बन्धित गतिविधियों हेतु इस मद में कुल **₹ 83.46 करोड़** की धनराशि का प्राविधान।
- ❑ पूर्व में संचालित विभिन्न **कैट प्लानों** के साथ–साथ जामरानी, खुटानी व अन्य नये कैट प्लानों को सम्मिलित करते हुए कुल **₹ 109.59 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित।
- ❑ कैम्पा की **अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियों** (रोड़ साईड, गैप फिलिंग, बौनी प्रजाति, रिवर ट्रेनिंग) कार्यों हेतु **₹ 25.15 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित।

एन0पी0वी0 के अंतर्गत प्रस्तावित मुख्य कार्य

- ❑ इसके अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0, भारत सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न नदियों के सुधार/उपचार, इनमें मृदा एवं जल संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों हेतु पृथक से प्रस्ताव भी सम्मिलित किये गये हैं।

- प्रस्तावित कार्ययोजना में जोनल स्तर से प्राप्त कार्ययोजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय पर्वों यथा–हरेला, वन महोत्सव आदि में विभिन्न समुदायों/नागरिकों का सहयोग लेते हुए वृहद स्तर पर सामुदायिक वृक्षारोपण हेतु प्राविधान किया गया है।

- एन0पी0वी के अन्तर्गत Forest Fire Prevention के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित किये जाने हेतु **₹ 30.00 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित।

- सामाजिक उद्यमिता के सिद्धांत पर चीड़ पिरूल बोझ को स्थानीय समुदायों की सहायता से वनों से कम करते हुए इसको समाप्त किये जाने व ऊर्जा के रूप में उपयोग किये जाने के दृष्टिगत **₹ 10.00 करोड़** की धनराशि प्राविधानित।

- प्रदेश के विभिन्न बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु **₹ 11.41 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित।

- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश की प्रदूषित 6 नदियों (ढ़ेला, भेला, सुसवा, पिलाकर, नन्धौर, कल्याणी) तथा यमुना नदी व वेटलैंड्स के संरक्षण के दृष्टिगत **₹ 20.00 करोड़** की धनराशि प्राविधानित।

- महिला/किसान नर्सरी एवं शहरी क्षेत्रों में वनीकरण (ग्रीन लंग्स डेवलेपमेन्ट) कार्यो हेतु **₹ 20.00 करोड़** की धनराशि प्राविधानित।

- वर्ष 2021–22 क़ी वार्षिक कार्ययोजना में स्थानीय नागरिकों को वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जोड़े जाने के दृष्टिगत वन पंचायत, ईको विकास समिति, स्वयं सहायता समूह, युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों की सहभागिता से Regeneration of degraded forest by seeding, fire protection, maintenance of young plantation and other forest protection activities आदि कार्यो हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- वन एवं वन्यजीव अनुसंधान हेतु **₹ 8.12 करोड़** की धनराशि प्रस्तावित।

- वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों (रेस्क्यू सेंटर की स्थापना व स्थापित रेस्क्यू सेंन्टर का रखरखाव, अवैध शिकार सम्बन्धी गतिविधियों एवं अन्य वन्यजीव सुरक्षा गतिविधियों) हेतु इस मद में **₹ 39.53 करोड़** की धनराशि प्राविधानित।

- मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम एवं खेती की सुरक्षा के दृष्टिगत हाथी रोधी खाई खुदान, हाथी/सूअर रोधी सुरक्षा दीवार, सोलर फेन्सिंग आदि हेतु **₹ 100.79 करोड़** (वर्ष 2021–22

की अनुपूरक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष गतिविधियों हेतु में ₹ 34.39 **करोड़** को सम्मिलित करते हुए) की धनराशि प्रस्तावित।

- वन रक्षक चौकियों एवं रेंज आवास हेतु ₹ 49.30 **करोड़** की धनराशि (वर्ष 2021–22 की अनुपूरक कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष गतिविधियों हेतु में ₹ 4.62 **करोड़** को सम्मिलित करते हुए) प्रस्तावित, वन मार्गों के मरम्मत **हेतु** ₹ 34.86 करोड़ की धनराशि प्राविधानित

- वन पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹ 90.74 **करोड़** की धनराशि प्रस्तावित, जिसमें 3.78 करोड़ की धनराशि पंचायती वनों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु प्रस्तावित।

कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज के अंतर्गत प्राविधान

- कैम्पा के अंतर्गत अर्जित ब्याज से कैम्पा प्रबन्धन व्यय, क्षतिपूरक वनीकरण एवं कैट प्लान में बढ़ी हुई दरों की प्रतिपूर्ति एवं एन0पी0वी0 के अंतर्गत वानिकी सम्बन्धी गतिविधियों हेतु ₹ 29.50 **करोड़** की धनराशि प्रस्तावित।

उपरोक्त गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए समिति के समक्ष वर्ष 2021–22 की प्रस्तावित कार्ययोजना का गतिविधिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों सहित विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:–

UTTARAKHAND CAMPA - APO 2021-22

Amount in Lakh Rs.

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
SITE SPECIFIC ACTIVITIES					
A	Compensatory Afforestation				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Advance Soil Works	Ha	6000	5158.85
2		Plantation	Ha	3000	1090.00
3		Plantation Maintenance	Ha	10645	1313.59
4		Nursery Maintenance	No of plants	6188549	247.25
5		Nursery Raising/updradation	No of plants	5372838	536.84
	Sub-Total	SUB TOTAL			**8346.53**
B	Catchment Area Treatment (CAT) Plan				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Tapovan Vishnugad HEP	As per approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan		1078.96
2		Lata Tapovan HEP			707.23
3		Singoli Bhatwari HEP			583.50

Amount in Lakh Rs.

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
4		Phatta Byung HEP			418.47
5		Srinagar HEP			233.28
6		Lakhwar HEP			2975.69
7		Vishungad Pipalkoti HEP			1658.65
8		Vyasi HEP			600.87
9		Mori Naitwar HEP			661.11
10		Jamrani HEP			621.15
11		Khutani HEP			420.94
12		New CAT Plans			1000.00
	Sub-Total	**SUB TOTAL**			**10959.85**
C	**Other 'Specified' Works**				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Road Side Plantations	Row Km	316	620.10
2		Gap Filling Plantations	Ha	22.2	339.35
3		Dwarf Species ASW / Plantations	ha	181.59	185.90
4		Nursery upgradation/ Maintenance	Nos.	701657	80.09
5		River Training Works[KOSI , DABKA , SONG, GOLA & Others]	LS	LS	810.00
6		Muck Disposal	LS	LS	480.00
	Sub-Total	**SUB TOTAL**			**2515.44**
		TOTAL			**21821.82**
D	**NET PRESENT VALUE (NPV)**				
		Core Activities (Min. 80% of NPV)			
1	Rule 5(2)(a)	Assisted Natural Regeneration (ANR)	ha	1545.5	1108.25
2	Rule 5(2)(b)	Artificial Regeneration / Plantations (Oak, Deodar, others)	ha	845	579.94
		Nurseries & Maintenance (Oak, Deodar, others)	No's	1202603	334.36
		Nursery Upgradation/establishment of modern nursery under NPV	No's	43	430.00
3	Rule 5(2)(b)	Establishment of City Forest in Dehradun	Ha	3	225.00

					Amount in Lakh Rs.
S. No.	**CAF Act / Rule**	**Component / Activity**	**Unit**	**Proposed**	
				Physical Target	**Financial Target**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	Rule 5(2)(b)	Community Plantation and Mobilization (Harela / Van Mahotsav)	LS	LS	500.00
5	Rule 5(2)(b)	Provision for afforestation in urban areas (green lungs development) nature based responsible landscape deveopment	LS	LS	2000.00
6	Rule 5(2)(b)	Nursery Maintenance of Medicinal and Aromataic Plants	LS	LS	20.00
7	Rule 5(2)(b)	Establishment of High-Altitude Plants Conservation Area	No.	2	10.00
8	Rule 5(2)(b)	Afforestation led treatment of Bhela, Dhela, Suswa, Pilakhar, Nandhaur & Kalyani rivers and Yamuna river with the help of CSWRTI / IISWC for restoration of ecological balance including survey with LIDAR technology as per directions of Hon. NGT and PCB, GoI & Conservation of Wetlands- as per direction of NGT.	Nos.	7 **(Rs. 20 Cr.)	2000.00
9	Rule 5(2)(b)	Provision for Afforestation / Watershed Management in one measure ridge inside a forest block i.e Ghagas through LIDAR technology as per directions from GoI.	Ha	117.82	650.00
10	Rule 5(2)(d)	Protection of Bugyals	Ha	714	1141.85
11	Rule 5(2)(b)	Community based Mahila plant nursery development and maintenance	LS	LS	1000.00
		SUB TOTAL			**9999.40**
		Forest Fire Protection			

					Amount in Lakh Rs.
S. No.	**CAF Act / Rule**	**Component / Activity**	**Unit**	**Proposed**	
				Physical Target	**Financial Target**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
12	Rule 5(2)(f)	Forest Fire Prevention & Control Operations (Fire Watchers, vehicle hiring during fire season, crew stations etc.)	LS	LS	3000.00
13		Chir - Pirul Collection by local communities providing livelihood supports	Ton	50000	1000.00
14		**Protection of Forests**			
15		Regeneration of degraded forest by seeding, fire protection, maintenance of young plantation and other forest protection activities	LS	LS	4000.00
		Sub-Total (Forest Fire)			**8000.00**
16	Rule 5(2)(g)	**Soil and Moisture Conservation Works for regenration of forest**			
i		Contour Trenches	Ha	8607	948.00
ii		Chal Khal / Check Dams	Nos.	18704	3699.47
iii		Const. of water harvesting structure for soil water resources for regenration of forest areas Water Bodies (0.10 - 2.50 lakh litres)	Nos.	3895	1261.57
iv		Rejuvenation of water sources [Dhara-Naula , Kund , Taal and Maintenance of structures]	Nos.	763	1568.04
v		Rejuvenation of Rivers	Nos.	13	1917.59
vi		Plantation for Soil and Water conservation	Ha	185	170.00
vii		Perculation Pits / Tanks	Ha	484	116.03
viii		Prepration of DPR	Nos.	25	10.00
		Sub-Total (Soil cons)		****(Rs 30 Cr)**	**9690.70**
		Wildlife Management			

Amount in Lakh Rs.

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
17	Rule 5(2)(k)	Construction & Maintenance of Rescue / Rehabilitation Center (Haridwar, Kotdwar and Corbett, Nainital, Almora CS)	Nos.	5	1977.43
18		**Fencing, Trenches and Wild boar Proof Wall for Human Wildlife Conflict Mitigation**			
i	Rule 5(2)(d)	Fencing (Solar, Electric, Other)	km	280.49 **(Rs 1.59 Cr)	1935.46
ii		Elephant Proof Trenches	km	1393.35	442.62
iii		Elephant / Wild Boar Proof Stone Concrete Wall,Trench	km	205.76 **(Rs. 32.80 Cr)	5472.70
iv		Maintenance of Stone Concrete Wall	Km	26.45	251.50
		Sub-Total (Fencing/Wall)			**10079.71**
19	Rule 5(2)(i)	Habitat Improvement (Lantana Removal, Maintenance and seed sowing/grassland nursery)	ha	11882.78	3703.12
20	Rule 5(2)(b)	Pasture / Chaur Development	Ha	520	106.25
21	Rule 5(2)(d)	EDC/Village Protection Force (Entry Pt. Activities, Microplanning, Human WL Conflict Mitigation Activities	Nos.	108	191.20
		Sub-Total			**4000.57**
		Strengthening of Wildlife Management			
22	Rule 5(2)(m)	Estimation of Wildlife Populations	LS	LS	86.00
23	Rule 5(2)(m)	Management of biological diversity and biological resources ; Gauraiya Ashray Sthal and Other activities	Ha	10 **(Rs 4.5 Cr)	500.00
24	Rule 5(2)(d)	Anti-Poaching Activities	LS	LS	194.35
25	Rule 5(2)(d)	Development of SPFG at Sensitive and High altitude	LS	LS	123.45

Amount in Lakh Rs.

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
		area			
26	Rule 5(2)(k)	Human Wildlife Conflict Resolution (Monkey capture & Sterilization, cages, etc.) / Quick Response Teams to tackle Human Wildlife Conflict	LS	LS **(Rs 5 Cr)	714.12
27	Rule 5(2)(k)	Equipment support for WL cons. (Rescue equipment and Hi-tech equipment for enhancement of enforcement)	Nos.	361	189.78
28	Rule 5(2)(k)	Food for Wild animals at Rescue Center (CS Almora, Nainital, Haridwar/Chila)	LS	LS	155.00
29	Rule 5(2)(k)	Strengthning of Wildlife Conservation & Track routes in PA	LS	LS	253.00
30	Rule 5(2)(k)	Monkey & Others animal Rescue Center / Transit Rescue Center including veterinary treatment	Nos.	4	1500.00
31	Rule 5(2)(g)	Construction & Maintenance of Water Holes	Nos.	389	237.80
		Sub-Total			**3953.50**
		Strengthening of Van Panchayats			
32	Rule 5(2)(d) and 5(2)(m)	Diffrent Activities in Van Panchayats(ANR , Pasture Development , Plantations, Training and Workshops, Prepration of Microplans etc.)	Nos.	4000 VPs	8695.82
33	Rule 5(2)(f)	Forest Fire Management in Van Panchayat			378.28
		Sub-Total			**9074.10**
34	Rule 5(2)(m)	**Forestry & Wildlife Research**	LS	LS	812.06
35	Rule 5(2)(d)	Strengthening of Voluntary Village Wildlife Protection Force (VVFWF)	LS	LS	65.00

					Amount in Lakh Rs.
S. No.	**CAF Act / Rule**	**Component / Activity**	**Unit**	**Proposed**	
				Physical Target	**Financial Target**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
36	Rule 5(2)(l)	Non Conventional and Renewable Energy (Solar light, water turbine etc. for remote forest areas)	LS	LS	382.55
37	Rule 5(2)(l)	Supply of wood saving cooking appliaces and other forest produce saving devices in forest fringe villages.	Nos.	40	200.00
		Sub-Total			**1459.61**
	Sub-Total	**80.01 % of Total NPV**			**56257.59**
Rest of the Activities (upto 20% of NPV)					
38	Rule 5(3)	Training , workshop and Capacity Building inculding Wildlife	LS	LS	331.55
39	Rule 5(3)	Strengthening of Training Institutes and capacity building, FTA	No.	4	60.00
40	Rule 5(3)(g)	Survey, Demarcation and Boundary Pillars [79.41 lakh]	Ha	1990	99.88
41	Rule 5(3)(e)	Construction of Forest Guard Chowki / Mali Chowki / Range Quaters	Nos.	183 **(Rs 4.62 Cr)	4930.36
42	Rule 5(3)(d)	Construction of Watch Towers / High altitude patrolling shelter / Mordernizatio of Strategic Barriers	Nos.	148	811.00
43	Rule 5(3)(d)	Upgradation of forest roads , Maintenance of inspection / Bridle path as per approved working plan	Km	5771.08 **(Rs 3.49 Cr)	3486.32
44	Rule 5(3)(e)	Renovation of existing buildings (upto range level) /	Nos.	756	1560.43
45	Rule 5(3)(c)	Communication and Information Technology	LS	LS	1079.00
46	Rule 5(3)(i)	Public Awareness and Publicity Extension	LS	LS	1512.95
47	Rule 5(3)(d)	Maintenance of Fire lines	Km	3500	180.00
	Sub-Total	**(19.98 of Total NPV)**			**14051.49**

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
	TOTAL NPV				70309.08
	TOTAL APO				**92130.90**
E	**INTEREST COMPONENT**				
Activities under 60% Interest Component					
1	Rule 6(a)(iv) & (v)	CAMPA Management (Salaries & allowances of regular staff & wages of contractual staff, sitting fees /allowances of nominated members of State Authority).	LS	LS	250.00
2	Rule 6(a)(i)	To offset the incremental cost of CA at the increased wage rates	LS	LS	575.00
3	Rule 6(a)(ii)	To offset the incremental cost of CAT Plan at the increased wage rates	LS	LS	575.00
4	Rule 6(a)(vi)	Monitoring and Evaluation works undertaken by State Authority	LS	LS	200.00
5	Rule 6(a)(vi)	Creation of ANR plantations ,Hightech & Community based Nurseries , Artificial Regeneration , Habitat Improvement			1000.00
		Sub-Total (60%)			**2600.00**
Activities under 40% Interest Component					
6	Rule 6(b)(i)	Management of Office establishment of State Authority (printing & stationary, postage & telephone expenses including internet, office maintenance expenses, hospitality expenses etc.)	LS	LS	100.00
7	Rule 6(b)(ii)	Purchase of Office Equipment including Computers and Peripherals & Maintenance for State Authority	LS	LS	100.00

Amount in Lakh Rs.

Amount in Lakh Rs.

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Proposed	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
8	Rule 6(b)(iii)	Hiring of Vehicles/Staff Cars, fuel and maintenance for State Authority	LS	LS	50.00
9	Rule 6(b)(vi)	Purchase of Vehicles for forest & wildlife protection/management (Motorbikes)	No.	100	100.00
		Sub-Total (40%)			**350.00**
		Total (Interest Component)			**2950.00**
		GRAND TOTAL (APO 2021-22)			**95080.90**

** Indicates the balances of Addl APO 2020-21 of Rs 262 Cr which was approved by SC but against which only Rs 128.55 Cr was approved by GoI . Same has been included in the APO 2021-22.

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के संबंध में प्रमुख सचिव, वन द्वारा निर्देश दिये गये कि यह कैम्पा का महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से भी की जा रही है, अतः इसके लक्ष्यों को मानकों के अनुरूप समयांतर्गत पूर्ण किया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को पूर्ण करने में हो रही कठिनाई का मुख्य कारण पूर्व में हस्तांरित वन भूमि के सापेक्ष किये जाने वाले क्षतिपूरक वनीकरण के संबंध में कतिपय मामलों में वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का ढंगारी/पथरीला होना, उपयुक्त न पाया जाना, आपदा के कारण भूमि का क्षतिग्रस्त /क्षरण होना आदि के कारण उपलब्ध न होना है। ऐसे प्रकरणों के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार से इस संबंध में लिये गये परामर्श अनुसार इस प्रकार के प्रकरणों हेतु पृथक से लैंड बैंक बनाया जा सकता है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई।

प्रमुख सचिव, वन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भारत सरकार द्वारा राज्य को हस्तांतरित राज्यांश के विभिन्न घटकों यथा सी0ए0, एन0पी0वी0, कैट प्लान आदि की अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही वार्षिक कार्ययोजना के घटकवार धनराशि प्रस्तावित / प्राविधानित की जाए किसी भी दशा में एक घटक की धनराशि का उपयोग अन्य घटकों में न किया जाए।

समिति द्वारा उपरोक्त पर विचार–विमर्श उपरान्त वर्ष 2021–22 हेतु उक्तानुसार कुल ₹ 95080.90 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संचालन समिति 5.4 उत्तराखण्ड कैपा की वर्ष 2019–20 की बैलेंस शीट, वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2019–20 की बैलेंस शीट आयकर अधिनियम 1961 के तहत सनदी लेखाकार से ऑडिट कराकर, उत्तराखण्ड कैम्पा की आयकर विवरणी (Income Tax Return) जमा की गई है। महालेखाकार, ऑडिट कार्यालय, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा का वर्ष 2010–11 से 2016–17 तक के लेखों का ऑडिट एवं बैलेन्सशीट ऑडिट/सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। महालेखाकार, उत्तराखण्ड से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जा चुका है। समिति उपरोक्त से अवगत हुई एवं 2019–20 की बैलेंस शीट को अध्यक्ष संचालन समिति द्वारा हस्ताक्षर करते हुए बैलेंस शीट एवं वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–संचालन समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

(जे0 एस0 सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 06 /संचा0स0(5) दिनांक, देहरादून, 08 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव/सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा
4. प्रमुख सचिव/सचिव–ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
5. प्रमुख सचिव/सचिव–राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
6. प्रमुख सचिव/सचिव–कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
7. प्रमुख सचिव/सचिव–जनजाति, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रमुख सचिव/सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
9. प्रमुख सचिव/सचिव–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा ।
10. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, 25–सुभाष रोड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (अपर प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
15. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 06 (1)/संचा0स0(5), उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के संज्ञानार्थ सादर सूचनार्थ।

(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।